



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1943 (श०)
(सं० पटना 56) पटना, बृहस्पतिवार, 3 फरवरी 2022

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

28 जनवरी 2022

सं० एल/एच०जी०-14-10/2021-779 ।— बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में जिला समादेष्टा पद के लिए अनुशासित निम्नांकित-05 (पाँच) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन लेवल-9 (अनुमान्य भत्तों के साथ) में औपबंधिक रूप से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) के रूप में उनके योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	नाम	पिता का नाम/स्थायी पता	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आवर्तित आरक्षण कोटि
1	श्री प्रेम चंद	श्री प्रकाश चन्द्र स्थायी पता:- ग्राम + पो० -तुलसीगढ़, थाना-चण्डी, जिला-नालंदा, पिन-803108	नालंदा	56	01 (अनारक्षित)
2	श्री सुबाष सिंह	श्री शिव वचन सिंह स्थायी पता:- ग्राम + पो०-रूपपुर थाना-भभुआ, जिला-कैमूर (बिहार), पिन-821109	कैमूर	121	05 (पिछड़ा वर्ग)
3	श्री अमृतांशु	श्री सुधांशु कुमार, स्थायी पता:- वार्ड नं०-1, मच्छरगांवा, थाना-जोगापट्टी, जिला-पश्चिमी चम्पारण, बेतिया (बिहार) पिन-845452	पश्चिमी चम्पारण	151	04 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)
4	मो० एहतेशाम अली	मो० सेराज अली स्थायी पता:-ग्राम + पो०-बंतारा, थाना-देवकुण्ड, जिला-औरंगाबाद, पिन-824120	औरंगाबाद	193	07 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

क्र०	नाम	पिता का नाम/स्थायी पता	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आवंटित आरक्षण कोटि
5	सुश्री स्नेही सोनल	श्री अरूण कुमार स्थायी पता:- 20/238, जनता प्लैट, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पो०-लोहिया नगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना (बिहार), पिन-800020	पटना	209	01 (अनारक्षित)

- (i) सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 3 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
- (ii) इन नव नियुक्त पदाधिकारियों का वेतन भुगतान इनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र के सत्यापन के उपरांत प्रारंभ होगा।
- (iii) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में संबंधित बोर्ड/संस्था/प्राधिकार से यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नव नियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति/सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जा सकती है एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत् कार्रवाई की जा सकेगी।
- (iv) सभी नव नियुक्त पदाधिकारी को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्नि शाम सेवाएँ, बिहार, छज्जुबाग, पटना के समक्ष समर्पित करेंगे।
- (v) जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात समर्पित नहीं किये गये हैं, वे परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने के समय वांछित प्रमाण पत्र महानिदेशक- सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के समक्ष निश्चित रूप से समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (vi) सभी अभ्यर्थी योगदान/प्रभार ग्रहण के समय हाल का पासपोर्ट साईज का दो अदद फोटोग्राफ/मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र/तिलक दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र/चल-अचल संपत्ति विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- (vii) महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना इन नवनियुक्त जिला समादेष्टाओं से कंडिका (v) एवं (vi) में अंकित कागजात/फोटो आदि प्राप्त करने के उपरांत उनका योगदान स्वीकार करेंगे एवं उसकी एक-एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा उनके प्रशिक्षण हेतु अपने स्तर से शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 56-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>